भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 3755**
(वाणिज्य विभाग)

<u>दिनांक 12 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

निर्यात संवर्धन संबंधी योजनाएं

3755 श्री सनातन पांडेयः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि आईसी स्कीम, आरओडीटीईपी, आरओएससीटीएल, एमएआई, टीआईईएस आदि जैसी विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के बावजूद देश के अधिकांश एमएसएमई निर्यातक अभी भी वित्तीय सहायता, गुणवत्ता प्रमाणन, संभारतंत्रीय सहायता और विदेशी बाजारों तक पहुंच जैसी मूलभूत समस्याओं का सामना कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उन एमएसएमई निर्यातकों की संख्या का आकलन किया है जो घोषित 65 निर्यात सुविधा केन्द्रों, 10,642 टैरिफ लाइन कवरेज और विभिन्न डिजिटल प्लेटफार्मों का वास्तव में उपयोग करते हैं और उन एमएसएमई निर्यातकों की संख्या कितनी है जिन्हें दीर्घकालिक लाभ प्राप्त हुए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का योजनाओं की जमीनी स्तर पर निगरानी और उनके निष्पादन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किसी स्वतंत्र मूल्यांकन तंत्र की स्थापना करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) की घोषणा निर्यात ऋण तक बेहतर पहुंच की सुविधा प्रदान करके और वैश्विक बाजार में गैर-टैरिफ बाधाओं को दूर करने में एमएसएमई की सहायता करके निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई थी। वर्तमान में (ईपीएम) प्रस्ताव के चरण में है। ईपीएम का उद्देश्य व्यापार वित्त तक समावेशी पहुंच को सशक्त बनाना, गुणवत्ता और अनुपालन क्षमताओं में सुधार करना, बाज़ार से जुड़ाव को स्थापित करना और अपनी उप-स्कीमों के माध्यम से निर्यात संभारतंत्र की सहायता करना है। प्रस्तावित मिशन में पहले की स्कीमों जैसे कि ब्याज समकरण स्कीम (आइईएस) और बाज़ार पहुंच पहल (एमएआइ) से प्राप्त अनुभवों को शामिल किया गया

है और एक अधिक एकीकृत एवं अनुकूली ढांचा प्रस्तुत किया गया है जो बदलते व्यापार परिदृश्यों के अनुरुप हो।

(ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने देश भर में 65 निर्यात सुविधा केंद्र (ईएफसीज) स्थापित किए हैं, जिनका उद्देश्य एमएसएमई को उनके उत्पादों और सेवाओं के निर्यात में अपेक्षित मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करना है। वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान देश में कुल 11,222 एमएसएमई को निर्यात सुविधा केंद्रों द्वारा सहायता प्रदान की गई है।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने भारतीय निर्यातकों, विशेष रुप से एमएसएमई को व्यापार-संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन देने के लिए एक व्यापक डिजिटल इंटरफेस के रूप में ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म (https://trade.gov.in) विकसित किया है। यह मंच एक ऑनलाइन सहायता केन्द्र के रुप में कार्य करता है जो वाणिज्य विभाग, विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों, निर्यात संवर्धन परिषदों, कॉमोडिटी बोर्डों और अन्य संबंधित संस्थाओं को एकीकृत करता है। यह प्लेटफॉर्म निर्यातकों को विभिन्न उपकरणों और संसाधनों तक सुगम पहुंच प्रदान करता है, जिनमें व्यापार समझौतों पर जानकारी, देश-विशिष्ट बाज़ार आवश्यकताएं, प्रमाणन और अनुपालन मानदंड, खरीदार-विक्रेता संपर्क सेवाएं, और वैश्विक ई-कॉमर्स के अवसर शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, एमएसएमई डिजिटल प्रोफाइल बनाकर अंतरराष्ट्रीय खरीदारों से जुड सकते हैं और एग्जिम पाठशाला के माध्यम से संरचित शिक्षण सामग्री का लाभ उठा सकते हैं। यह मंच एमएसएमई निर्यातकों को डिजिटल रुप से सशक्त बनाने और उन्हें वैश्विक व्यापार नेटवर्क में अधिक मजबूती से एकीकृत करता है।

(ग) ईपीएम प्रस्ताव में परिणामों का मूल्यांकन करने और भविष्य में सुधार के लिए जानकारी जुटाने हेतु तृतीय-पक्ष मूल्यांकन की व्यवस्था शामिल की गई है। इस प्रस्ताव में प्रभावी कार्यान्वयन, हितधारकों की प्रतिक्रिया और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निगरानी और मूल्यांकन तंत्र को शामिल किया गया है।

*****